(६८)

संख्या– /XXII/2012–3(2)2011 टी.सी.

प्रेषक,

विनोद शर्मा,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग

देहरादून : दिनांक 10 जनवरी, 2012

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान सख्यां–30 एवं 31 के अन्तर्गत धनराशि के आवंटन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–246/XXII/2011–3(2)2011 टी.सी., दिनांक 03 जून, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना एव लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 के आयोजनागत पक्ष में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत अवशेष प्राविधानित धनराशि ₹ 7.51 लाख (रूपये सात लाख इक्यावन हजार मात्र) एवं अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत अवशेष प्राविधानित धनराशि ₹ 2.51 लाख (रूपये दो लाख इक्यावन हजार मात्र) की निम्न शर्तानुसार व्यय करने हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसा व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये।

3– धनराशि उसी मद में व्यय किया जाये जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 01 मार्च, 2010 तथा समय–समय पर जारी किये गये अन्य शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाय। किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, भण्डार क्रय नियम तथा मितव्ययता संबंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का क्रय डी.जी.एस.एण्ड डी की दरों पर किया जायगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेंडर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय।

5– कम्प्यूटर आदि का क्रय एन.आई.सी./आई.टी. विभाग के संस्तुति के उपरान्त ही जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में सुनिश्चित किया जायेगा।

6– अनुसूचित जाति एवं जनजाति की राज्य गठन के बाद की सूचना समाज कल्याण की वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित की जाय एवं परिव्यय की माग के सापेक्ष जारी की गई धनराशि का शत–प्रतिशत उपयोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याणार्थ संचालित योजना पर व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-30 एवं 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2220-सूचना एवं प्रसार के आयोजनागत पक्ष के निम्नांकित उपलेखाशीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा :-

अनुदान संख्या-30

लेखाशीर्षक / उप लेखाशीर्षक	मानक मद	धनराशि (हजार रूपये में)
2220-सूचना तथा प्रसार		
60-अन्य		
800-अन्य व्यय		
02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
01-गीत तथा नाट्य योजना	08-कार्यालय व्यय	750
02-किसान मेला प्रदर्शनी	19-विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय	1
	योग	751

अनुदान संख्या-31

लेखाशीर्षक / उप लेखाशीर्षक	मानक मद	धनराशि (हजार रूपये में)
2220-सूचना तथा प्रसार		
60-अन्य		
796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना		
01-गीत तथा नाट्य योजना	08-कार्यालय व्यय	250
02-किसान मेला प्रदर्शनी	19-विज्ञापन, बिक्री एवं विख्यापन व्यय	1
	योग	251

6- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ.शा. पत्र सं.-160P / XXVII(5) / 2011 दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

संख्या- 29 (1) / XXII / 2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- निजी सचिव, मा0 सूचना मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4- वरिष्ठ कार्याधिकारी, देहरादून।
5- समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6- वित्त अनुभाग-5
7- एन0आई0सी0, देहरादून, सचिवालय।
8- प्रभारी मीडिया सन्टर, सचिवालय परिसर।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 शैलेश कुमार पन्त)
अनु सचिव।